

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

(फरवरी, 2019 सत्र)

(18 फरवरी, 2019 से 21 फरवरी, 2019 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

| विभाग का नाम (1) | प्रभारी मंत्री (2) | उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक (3) | प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक (4) |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| वर्ग-1 | | | |
| गृह | गृह मंत्री | | |
| जेल | — ” — | | |
| भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास | भोपाल गैस त्रासदी मंत्री | | |
| पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण | — ” — | | |
| सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम | — ” — | | |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास | पंचायत मंत्री | | |
| सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण | सामाजिक न्याय मंत्री | | |
| अनुसूचित जाति कल्याण | — ” — | 18 फरवरी, 2019 | 12 फरवरी, 2019 |
| वन | वन मंत्री | | |
| नगरीय विकास एवं आवास | नगरीय विकास एवं आवास मंत्री | | |
| खेल एवं युवक कल्याण | खेल एवं युवक कल्याण मंत्री | | |
| उच्च शिक्षा | — ” — | | |
| महिला एवं बाल विकास | महिला एवं बाल विकास मंत्री | | |
| श्रम | श्रम मंत्री | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|

वर्ग-3

| | |
|--|--------------------------------|
| लोक निर्माण | लोक निर्माण मंत्री |
| पर्यावरण | —''— |
| जल संसाधन | जल संसाधन मंत्री |
| किसान कल्याण तथा कृषि विकास | किसान कल्याण मंत्री |
| उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण | —''— |
| पशुपालन | पशुपालन मंत्री |
| मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास | —''— |
| कुटीर एवं ग्रामोद्योग | कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री |
| नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा | —''— |
| विधि और विधायी कार्य | विधि और विधायी कार्य मंत्री |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री |
| राजस्व | राजस्व मंत्री |
| परिवहन | —''— |
| खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | खाद्य मंत्री |
| ऊर्जा | ऊर्जा मंत्री |
| खनिज साधन | खनिज साधन मंत्री |
| जनजातीय कार्य | जनजातीय कार्य मंत्री |
| विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ | —''— |
| जाति कल्याण | |

21 फरवरी, 2019

14 फरवरी, 2019

भोपाल :
दिनांक : 17 जनवरी, 2019

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

- नोट.— 1. विवरण के स्तम्भ (3) व (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी.
2. प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त प्रारूप में ही भेजे.
3. प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक स्तम्भ (4) में दर्शाया गया है. नियत दिनांक तक उत्तर अनिवार्यतः भेजे जायें.
4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों को टीप : “मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ” के साथ प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा.
5. प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे तथा यदि संलग्न परिशिष्ट की अधिकतम पृष्ठ संख्या 3 है तो उसे भी ऑनलाईन स्वच्छ/पठनीय प्रति ही प्रेषित की जाये, किन्तु यदि परिशिष्ट की पृष्ठ संख्या तीन पृष्ठ से अधिक हो तो उसकी पांच प्रतियां सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर उत्तर प्रेषण के दिनांक को ही ऑफलाईन (हार्ड कापी) भेजी जायें.
6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण / परिवर्तन / पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए. उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचार योग्य नहीं होंगे.
7. *मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 06, दिनांक 03 जनवरी, 2019 के द्वारा “धार्मिक न्यास और धर्मस्व” एवं “आनन्द विभाग” का नाम परिवर्तित कर “अध्यात्म विभाग” किया गया।

प्र-1 अ /2019

भोपाल, दिनांक जनवरी, 2019

प्रतिलिपि :—

- (1) मुख्यमंत्री,
- (2) समस्त मंत्री, राज्यमंत्री,
- (3) मुख्य सचिव,
- (4) समस्त प्रमुख सचिव तथा
- (5) शासन के समस्त विभागों

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.